न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 75 /2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 श्री सदन बियाणी पुत्र श्री गोपाल कृष्ण बियाणी जाति महाजन निवासी बियाणियों की गली चान्दपोल गेट के पास वार्ड नं. 21 सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र श्री नारायण।
2 माना देवी पत्नी नारायण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सूटोट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
3 रामावतार बियाणी पुत्र श्री तपोधन जाति महाजन निवासी मोरी का बास सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 बेणी प्रसाद बियाणी पुत्र श्री गोपालकृष्ण बियाणी जाति महाजन निवासी घन्टाघर के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।
5 मूलाराम पुत्र बालूराम।
6 मोहनलाल पुत्र चोखाराम।
7 जमनालाल पुत्र चोखाराम।
8 रामबक्सा पुत्र लोठा समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सूठोट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
हनुमान चाहर पुत्र श्री चोखाराम जाति जाट निवासी चैलासी तहसील धोद जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Lam
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दिनांकित 04.07.2016
बउनवानी जगदीश बनाम रामावतार बियाणी आदि
मुकदमा संख्या 04/2015 अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील संख्या 76 /2016

1 बलबीर पुत्र भंवर लाल जाति जाट निवासी सुठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र नारायण।
2 माना देवी पत्नी नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण सुठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
3 रामोतार बियाणी पुत्र तपोधन।
4 बेणी प्रसाद पुत्र आनंदी लाल।
5 श्री सदन बियाणी पुत्र गोपाल कृष्ण।
6 दीपक बियाणी पुत्र विनोद बियाणी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 मनीष बियाणी पुत्र प्रकाश बियाणी निवाणीगण मोरी का बास नया शहर घंटाघर के पास बियानियों की गली सीकर राजस्थान।
8 मूलाराम पुत्र बालूराम।
9 मोहनलाल पुत्र चोखाराम।
10 जमन लाल पु. चोखाराम।
11 रामबक्सा पुत्र लोठाराम।
12 हणमान चाहन पुत्र चोखाराम।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ दिनांक 04.07.16 अं.धारा 225
आरटी एक्ट

उपस्थित

1. श्री भागीरथ मल जाखड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री हरफुल सिंह खीचड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28.09.2018

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 4/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्व होने से दोनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है दोनों पत्रावलियों में निर्णय की प्रति अलग–अलग रखी जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में जगदीश एवं माना देवी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत ग्राम सुठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 232/1 ,239,240 में से 15 फिट चौड़े रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 3 की और से 75/2016 एवं बलबीर पुत्र भंवरलाल द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के साथ अपील संख्या 76/2016 पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ ने खसरा नम्बर 239 के सन्दर्भ में दावा व टी.आई. लम्बित था जिसमें यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा था विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ के विवादित भूमि के सन्दर्भ में यथास्थिति के आदेश यथावत रहते हुये विवादित भूमि में से धारा 251ए के तहत नया रास्ता कायम किया गया। जो विधि विरूद्व है कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्थगन के दौरान रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन नही हो सकता है विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 242 के खातेदार है अपीलांट 239 का खातेदार नही है 239 के नये नम्बर 523 बने है अपीलांट एक अजनबी है रेस्पोडेंट संख्या 1 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 दावे में पक्षकार नही थे खसरा नम्बर 239 में बलबीर के क्या हदीकार है खसरा नम्बर 239 के दावा व टी.आई दोनों खारिज हो चुके है। इस आधार पर अपील भी प्रभावहीन है रास्ते का पैसा खातेदार मुलाराम ने प्राप्त कर लिया है मुलाराम विकय पत्र के आधार पर खातेदार है जिसे चुनौति नही दी है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है अपील खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन वाद व टी. आई. खारिज हो चुका है अपीलांट खसरा नम्बर 239 के खातेदार नही है खातेदार मुलाराम है जो जरिये रजिस्टर्डड विकय पत्र खातेदार बना है विकय पत्र को कोई चुनौति दी गई है खातेदार मुलाराम ने विचाराधीन आदेश को चुनौती नही दी है अपितु रास्ते का पैसा प्राप्त कर लिया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर